ग्राम पंचायत मुगलवाला करतारपुर, विकास खण्ड पावंटा साहिब, जिला सिरमौर के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024

भाग-1

1. (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मुगलवाला करतारपुर, विकास खण्ड पावंटा साहिब, जिला सिरमौर के अवधि 01.04.23 से 31.03.24 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्रीमती प्रेमा देवी	1.03.2023 से लगातार

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री नरेन्द्र शर्मा	01.04.2022 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत मुगलवाला करतारपुर, विकास खण्ड पावंटा साहिब, जिला सिरमौर के लेखों अवधि 01.04.23 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैं :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	3.4	रोकड़ बही व बैंक अंतशेष में भारी अंतर।	8.47
2)	5.3	अनुदान उपयोग हेतु शेष।	14.39
3)	6.1	गृह कर की वसूली न करना।	0.86
4)	8.1	निर्माण कार्यों संबंधी अभिलेख प्रस्तुत न करना ।	2.34

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत मुगलवाला करतारपुर, विकास खण्ड पावंटा साहिब, जिला सिरमौर के अवधि 04/2023 से 03/2024 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री कविन्द्र कंवर, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 15/01/2025 से 21/01/2025 तक ग्राम पंचायत मुगलवाला करतारपुर, विकास खण्ड पावंटा साहिब, जिला सिरमौर में किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान नौ रोकड़ बहियों अर्थात स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित), 14वां वित्तायोग, 15वां वित्तायोग, 13वां वित्तायोग, 12वां वित्तायोग, आई0ए0वाई0, आर0ए0वाई0/ए0ए0वाई0, बी0आर0जी0एफ0 व मनरेगा का रख-रखाव किया गया था। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2023-24	08/2023	03/2024

अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत मुगलवाला करतारपुर, विकास खण्ड पावंटा साहिब, जिला सिरमौर के अवधि 04/2023 से 03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 5 दिनांक 21/01/2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने का आश्वासन दिया।

4 वित्तीय स्थिति:-

4.1 सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या KK/SO/2024-Vol.I-74 दिनांक 05.12.24 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/2023 से 03/2024 के लेखों की

संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलंग्न **परिशिष्ट-1** पर दिया गया है।

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)
क्र. सं.	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**प्राप्तियां (₹)**	**कुल योग (₹)**	**भुगतान (₹)**	**अंतिम शेष (₹)**
1	2023-24	3201563.66	3540018.00	6741581.66	5301941.00	1439640.66

4.2 बैंक समाधान विवरणी: -

दिनांक 31.03.24 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही अनुसार अन्त शेष ₹ 1439640.66

दिनांक 31.03.24 को बैंक अनुसार अन्त शेष ₹ 581984.00

दिनांक 31.03.24 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही व बैंक खातों में अंतर (₹1439640.66 - ₹581984.00) **परिशिष्ट – 2** ₹ 857656.66

दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों में ₹857656.66 का अन्तर था जिसकी बैंक समाधान विवरणी निम्न प्रकार से है:-

	विवरण	**राशि (₹)**
	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों अनुसार अंतशेष	1439640.66
घटाव:	स्वःस्त्रोत की रोकड़ बही में दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि	(-) 275.00
घटाव:	12वां वित्तायोग की रोकड़ बही में दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि	(-) 10000.00
घटाव:	दिनांक 31/03/2024 को स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित), 13वां वित्तायोग, आई0ए0वाई0, आर0ए0वाई0 /ए0ए0वाई0, बी0आर0जी0एफ0 का असमायोजित राशि (Unreconclied amount).	(-)847381.66
	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष	581984.00

4.3 14वां वित्तायोग की टिप्पणियों की रिपोर्ट को ऑडिट ऑनलाइन (Audit Online) सॉफ्टवेयर पर तैयार किया गया है। जबकि 15वां वित्तायोग के अंकेक्षण का आबंटन ऑडिट ऑनलाइन (Audit Online) सॉफ्टवेयर नहीं किया गया क्योंकि 15वां वित्तायोग का अंकेक्षण हि०प्र० पंचायती राज विभाग के द्वारा पूर्व में किया चुका है।

4.4 ₹8.47 लाख की बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत न करना: -

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) एंव 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी को तैयार किया जाना अनिवार्य है। परन्तु पंचायत के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत द्वारा पैरा 3.2 में वर्णित रोकड़ बही व बैंक शेषों में कुल अंतर ₹847381.66 (बैंक में कम जमा) की निम्न विवरणानुसार बैंक समाधान विवरणीयां प्रस्तुत नहीं की गई जो कि अनियमित व आपतिजनक है। परिणामस्वरूप किसी भी वित्तीय अनियमितता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता :-

क्र. स.	निधि/योजना का नाम	अंतर की राशि (₹)
1	**2**	
1	स्वयं स्त्रोत/सामान्य निधि व 13वां वित्तायोग (₹808011.66-₹10275) (हस्तगत रोकड़)	797736.66
2	आई0ए0वाई0	30000.00
3	आर0ए0वाई0/ए0ए0वाई0	15068.00
4	बी0आर0जी0एफ0	4577.00
	योग	**847381.66**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 1 दिनांक 17/01/2025 के प्रतिउत्तर में सचिव, ने पत्र संख्या: 03/2025 दिनांक 21/01/25 द्वारा अंकेक्षण को तथ्यों व आंकडों की पुष्टि करते हुए उचित कार्यवाही करने के उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वाशन दिया। अत: उक्त भारी राशि के अंतर की राशि की बैंक समाधान विवरणियां शीघ्र तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त यह गंभीर मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु भी लाया जाता है।

4.5 स्वः स्त्रोत निधि के लिए स्वतंत्र बैंक खाते का संचालन करने न करना:-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतन्त्र बैंक खाता 'क' (स्वः-स्त्रोतों के लेन-देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि स्वः स्त्रोत/सामान्य निधि व अन्य निधियों का संचालन एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा है। अतः खाता ''क'' के लिये स्वतन्त्र रूप से बैंक खाते का संचालन न किये जाने के कारण पंचायत की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में पृथक से दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका। इस बारे सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 1 दिनांक 17/01/2025 द्वारा इस अनियमितता बारे अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, ने पत्र संख्या: 03/2025 दिनांक

21/01/25 द्वारा तथ्यों व आंकडों की पुष्टि करते हुए इस अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराने का तथा योजनावार पृथक बैंक खाता संचालित करने का आश्वासन दिया। अतः कृत कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

5. सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 1 दिनांक 17/01/2025 के क्रम संख्या 5 के सन्दर्भ में अंकेक्षण को सचिव, द्वारा पत्र संख्याः 03/2025 दिनांक 21/01/2025 के क्रम स. 5 द्वारा पर प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/2023 से 03/2024 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था। अत: सचिव, ग्राम पंचायत को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान

6.1 प्राप्त सहायता अनुदान ₹26.29 लाख के स्वीकृति पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार, पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार **(परिशिष्ट-1)** अवधि 4/2023 से 3/2024 तक ₹2628761 की सहायता अनुदान राशि प्राप्त हुई थी। परन्तु इन अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

योजना	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त राशि (₹)
सामान्य निधि/ स्व:स्त्रोत	1833241
15वा वित्त आयोग	795520
कुल	**2628761**

स्वीकृति पत्रों को प्रस्तुत न करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृति पत्रों के अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु अनुदानों के उपयोग की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी, ज़ोकि अनियमित है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 1 दिनांक 17/01/2025 द्वारा प्रकरण सचिव, ग्राम पंचायत से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों को अंकेक्षण को प्रस्तुत करने हेतु आग्रह

किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत ने पत्र संख्या: 03/2025 दिनांक 21/01/25 द्वारा इन्हें भविष्य में प्रस्तुत करने का आश्वाशन दिया गया। अतः शीघ्र कृत कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.2 अनुदान से ₹45.71 लाख के व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी **(परिशिष्ट-1)** के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 4/2023 से 3/2024 तक निम्न विवरण अनुसार ₹**4570612** की अनुदान राशि (स्वः स्रोत सहित) का व्यय किया गया था। परन्तु इससे सम्बन्धित आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित किये जाने सम्बन्धित भी कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि उक्त नियम 2002 के नियम 88 की अवहेलना है:-

योजना	**वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदानों से किया गया व्यय (₹)**
सामान्य निधि/ स्व:स्त्रोत	2057700
15वा वित्त आयोग	2512912
कुल	**4570612**

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 1 दिनांक 17/01/2025 जारी करके आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत के द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: व्यय की गई उक्त राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्राप्त कर सत्यापन हेतु शीघ्र अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाये ताकि किए गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाए।

6.3 अनुदान खाते में ₹14.39 लाख राशि शेष:-

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा **(परिशिष्ट-1)** पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों (स्वः स्रोत सहित) में से दिनांक 31.03.2024 को ₹1439084 (₹1439641 -14वां वित्तायोग ₹557) की राशि उपयोग हेतु शेष थी। इस राशि को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002

के नियम 9 के अनुसार फडिंग ऐजेन्सी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 1 दिनांक 17/01/2025 जारी करके उक्त राशि को व्यय न करने बारे अंकेक्षण को अवगत करने का आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत ने पत्र संख्या: 03/2025 दिनांक 21/01/25 द्वारा संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: सुझाव दिया जाता है कि प्राप्त शेष अनुदानों की राशि को भविष्य में फंडिंग एजेन्सी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाये।

7. पंचायत राजस्व/स्वः स्रोत-

7.1 ₹0.86 लाख का गृह कर वसूली हेतु शेष: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को कोई भी देय राशि पर्याप्त कारणों के बिना बकाया नहीं रखी जा सकती। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** के अवलोकन करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 4/2023 से 3/2024 तक गृहकर राजस्व राशि ₹**86400** वसूली हेतु शेष थी। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना सं0 2 दिनांक 17/01/2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में पत्र सं0 03/2025 दिनांक 21/01/2025 द्वारा सूचित किया गया कि गृहकर की राशि को भविष्य में वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः अनुपालना अंकेक्षण में वांछित रहेगी।

वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	कुल (₹)	व्यय (₹)	अंत शेष (₹)
2023-24	114150	37550	151700	65300	86400

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क को राजकीय कोष में जमा न करवाना: -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या –WLF-A(3)1/97 दिनांक 17.12.2004 द्वारा अधिसूचित विवाह पंजीकरण नियम-2004 के अनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त आय को राजकीय कोष में वर्तमान में नवीनतम लेखा शीर्षक 0070-060-108-01 के अन्तर्गत जमा करवाया जाना अपेक्षित है। परन्तु अवधि 4/22 से 03/24 तक के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार ₹200 का विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया गया परन्तु उसे राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया था जोकि अनियमित है :-

क्र. स.	वर्ष	योजना	वाउचर स0 / दिनांक	राशि जो जमा नहीं की गई (₹)
1	2023-24	Own Sources	OWN/202324/R/34 Dt. 09/08/2023	200
			Total	200

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 2 दिनांक 17/01/2025 जारी करके अनियमितता बारे पूर्ण वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत ने पत्र सं0 3/2025 दिनांक 21/01/25 द्वारा भविष्य में राशि जो जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे को आश्वस्त किया गया। अतःउक्त राशि को शीघ्र राजकीय कोष में जमा करवाकर अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

8. ₹0.68 लाख की क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 72 के अन्तर्गत स्टॉक/स्टोर के क्रय सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित है। उक्त नियम के दृष्टिगत ग्राम पंचायत द्वारा क्रय की गई सामग्री की मात्रा, गुणवता की जाँच करने के उपरान्त अनिवार्य रूप से फार्म 25 से 28 के अनुरूप स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी अपेक्षित है तथा यह भी प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है कि स्टॉक/सामग्री को सही अवस्था में प्राप्त किया गया है। नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–4** के अनुसार ₹67802 के स्टॉक/स्टोर की सामग्री/मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किए बिना ही प्रयोग किया गया था।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 3, दिनांक 20/01/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न करने बारे दृष्टिकोण से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाने का आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 03/2025 दिनांक 21/01/2025 द्वारा भविष्य में आवश्यक कार्रवाई उपरांत अंकेक्षण को पूर्ण अभिलेख सहित अवगत करवाने का आश्वाशन दिया गया। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री का सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. निर्माण कार्य: -

9.1 आपूर्तिकर्ताओं से ₹2.34 लाख की सामग्री के ट्रांजिट पास प्रस्तुत न करना : -

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार, ठेकेदार/विक्रेता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा | परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन.-(आर.डी. एवं पी.आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30, दिनांक 2.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जायेगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास को प्राप्त नहीं किया गया था । परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता से **परिशिष्ट-5** अनुसार ₹233744 की खरीदी गई सामग्री वैधानिकता की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान संभव नहीं हो सकी। इस संबंध में जारी अंकेक्षण अधियाचना स0: 3 दिनांक 20/01/2025 पूर्ण वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 03/2025 दिनांक 21/01/2025 द्वारा अंकेक्षण को संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं दिया गया । अत: सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा बिलवार आपूर्तिकर्ताओं से खरीदी गई सामग्री तथा उनके ट्रांजिट पास में दर्ज सामग्री की मात्रा से संबंधित अभिलेख का उचित प्रकार से संधारण किया जाये तदोपरांत कृत कार्रवाही से पूर्ण अभिलेख सहित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि आपूर्तिकर्ताओं से खरीदी गई सामग्री की वैधानिकता की सत्यापना संभव हो सकें।

9.2 मनरेगा के अन्तर्गत 60:40 के अनुपात में व्यय न करके ₹0.71 लाख का मजदूरी पर अधिक व सामग्री पर कम व्यय बारे: -

मनरेगा अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जारी परिचालन दिशा-निर्देश, 2013 के पैरा 7.4.1 के अनुसार ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्यों पर कुल व्यय का 60 प्रतिशत मजदूरी पर तथा 40 प्रतिशत सामग्री पर व्यय किया जाना वांछित है। परन्तु ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/2023 से 03/2024 में मनरेगा से सम्बन्धित प्रस्तुत अभिलेख **(परिशिष्ट-6)** का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन न करके वित्तीय

वर्ष 2023-24 में मजदूरी पर ₹0.71 लाख अधिक तथा सामग्री पर कम व्यय किया गया जोकि अनियमित है:-

क्रम स.	वित्तीय वर्ष	मनरेगा पर कुल व्यय (₹ लाखो में)	मजदूरी पर वास्तविक व्यय (₹ लाखो में)	मजदूरी पर अपेक्षित व्यय *60%* (₹ लाखो में)	मजदूरी पर कम/ ज्यादा व्यय (₹ लाखो में)	सामग्री पर वास्तविक व्यय (₹ लाखो में)	सामग्री पर अपेक्षित व्यय 40% (₹ लाखो में)	सामग्री पर कम/ ज्यादा व्यय (₹ लाखो में)
1	2	3	4	5 (3 x 60%)	6 (4-5)	7	8 (3 x 40%)	9 (7-8)
1	2023-24	6.98	4.90	4.19	(+)0.71	2.08	2.79	(-)0.71

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 3, दिनांक 20/01/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमतता बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाने का आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 03/2025 दिनांक 21/01/25 द्वारा भविष्य में इस अनियमितता को नहीं दोहराने का आश्वासन दिया गया। अत: इस अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में उक्त जारी परिचालन दिशा-निर्देश का गंभीरता से पालन किया जाये।

10. विहित रजिस्टर/अभिलेख को प्रस्तुत करने बारे :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टर/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है:-

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002			
1	निवेश रजिस्टर	1	12
	खाता बहियां	7	29 (1 से 3)
2	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5	बिल रजिस्टर	13	48
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) (ए व बी)
8	तकनीकी जाँच व तकनीकी स्वीकृति एस्टीमेट रजिस्टर	31	95 (1)
हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997			
1	स्टॉक सामग्री रजिस्टर	6	34

2	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
3	अनुदान रजिस्टर	8	34
4	अचल सम्पत्ति रजिस्टर	11	34
5	कर रजिस्टर	16	34

सचिव, ग्राम पंचायत से अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 4, दिनांक 20/01/2025 जारी करके उपरोक्त आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत ने पत्र संख्या: 03/2025 दिनांक 21/01/25 द्वारा भविष्य में अभिलेख प्रस्तुत करने बारे आश्वाशन दिया जो कि संतोषजनक उत्तर नहीं है। अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव करके अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

11. **लघु आपत्ति विवरणिका:** - इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

12. **निष्कर्ष:** - लेखों में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

22 APR 2025

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रति

2305-2309

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(10) 102/2025 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत मुगलवाला करतारपुर, विकास खण्ड पांवटा साहिब, जिला सिरमौर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

22 APR 2025

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रति

परिशिष्ट —1
Parsa 4.1

FINANCIAL POSITION OF GP MUGALWALA KARTARPUR ,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR (H.P.) FOR 2023-24

Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4(2+3)	5	6(4-5)
2023-24	3201563.66	3540018.00	6741581.66	5301941.00	1439640.66

GRAM PANCHAYAT MUGALWALA KARTARPUR ,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)

OWN SOURCES

Year	Opening (₹)	Own Sources income (₹)	Receipts-Own Sources	Bank Interest (₹)	Total Receipts(₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2+6)	8	9 (7-8)
2023-24	384975.66	139534.00	1833241.00	16389.00	1989164.00	2374139.66	2057700.00	316439.66

GRAM PANCHAYAT MUGALWALA KARTARPUR ,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)

FFC

Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Bank Interest (₹)	Total Receipts(₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4	5 (3+4)	6(2+5)	7	8(6-7)
2023-24	32880.00	0.00	1006.00	1006.00	33886.00	33329.00	557.00

GRAM PANCHAYAT MUGALWALA KARTARPUR ,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)

XVFC

Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Bank Interest (₹)	Total Receipts(₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4	5 (3+4)	6(2+5)	7	8(6-7)
2023-24	1923833.00	795520.00	56328.00	851848.00	2775681.00	2512912.00	262769.00

GRAM PANCHAYAT MUGALWALA KARTARPUR ,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)

THFC

Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Bank Interest (₹)	Total Receipts(₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4	5 (3+4)	6(2+5)	7	8(6-7)
2023-24	800230.00	0.00	0.00	0.00	800230.00	0.00	800230.00

GRAM PANCHAYAT MUGALWALA KARTARPUR ,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)

12th FC

Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Bank Interest (₹)	Total Receipts(₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4	5 (3+4)	6(2+5)	7	8(6-7)
2023-24	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00

GRAM PANCHAYAT MUGALWALA KARTARPUR ,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)

IAY

Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Bank Interest (₹)	Total Receipts(₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4	5 (3+4)	6(2+5)	7	8(6-7)
2023-24	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00

GRAM PANCHAYAT MUGALWALA KARTARPUR ,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR

RAY/AAY

Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Bank Interest (₹)	Total Receipts(₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4	5 (3+4)	6(2+5)	7	8(6-7)
2023-24	15068.00	0.00	0.00	0.00	15068.00	0.00	15068.00

GRAM PANCHAYAT MUGALWALA KARTARPUR ,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR

BRGF

Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Bank Interest (₹)	Total Receipts(₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4	5 (3+4)	6(2+5)	7	8(6-7)
2023-24	4577.00	0.00	0.00	0.00	4577.00	0.00	4577.00

GRAM PANCHAYAT MUGALWALA KARTARPUR ,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR

MNREGA

Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Bank Interest (₹)	Total Receipts(₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4	5 (3+4)	6(2+5)	7	8(6-7)
2023-24	0.00	698000.00	0.00	698000.00	698000.00	698000.00	0.00

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मुगलवाला करतारपुर
विकास खण्ड [illegible] (सिरमौर)

ग्राम पंचायत मुगलवाला करतारपुर, विकास खण्ड पाऊँटा साहिब, जिला सिरमौर (हि. प्र.) परिशिष्ट - 2

क्र. स.	योजना	बैंक	खाता स.	दिनांक 31.3.2024 को रोकड़बही अनुसार अंतशेष	दिनांक 31.3.2024 को बैंक अनुसार अंतशेष	दिनांक 31.3.2024 को रोकड़बही व बैंक अंतशेष में अंतर
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)
1	सामान्य निधि/ स्वःस्त्रोत (12वा वित्त आयोग, 13वा वित्त आयोग)	हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक, पाऊँटा साहिब -खाता क	56210100029	सामान्य निधि/ स्वःस्त्रोत ₹316439.66 + 12वा वित्त आयोग ₹10000 + 13वा वित्त आयोग ₹800230	310877.00	808011.66
		हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक, पाऊँटा साहिब -खाता ख	56210119132		7781.00	
	कुल			1126669.66	318658.00	
2	14वा वित्त आयोग	आई0डी0बी0आई0 पाऊँटा साहिब	1177104000048763	557.00	557.00	0.00
3	15वा वित्त आयोग	आई0डी0बी0आई0 पाऊँटा साहिब	1177104000084826	262769.00	262769.00	0.00
4	आई0ए0वाई0	हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक, पाऊँटा साहिब	56210100138	30000.00	0.00	30000.00
5	आर0ए0वाई0/ ए0ए0 वाई0	हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक, पाऊँटा साहिब	5610117064	15068.00	0.00	15068.00
7	बी0आर0जी0एफ0	हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक, पाऊँटा साहिब	56210118378	4577.00	0.00	4577.00
		कुल योग		1439640.66	581984.00	857656.66

Section Officer
State Audit Department,
Shimla-9, H.P.

ग्राम पंचायत मुगलवाला करतारपूर विकास खण्ड पाऊँटा साहिब जिला सिरमौर।

दिनांक 31.3.2024 को गृहकर वसूली संबंधी सूचना-

- वर्ष 2023-24 के दौरान परिवारों की संख्या – 751
- वर्ष 2023-24 के दौरान गृहकार की दर – ₹ 50/परिवार

वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	कुल (₹)	प्राप्ति (₹)	अंत शेष (₹)
2023-24	114150	37550	151700	65300	86400

Dharma
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मुगलवाला करतारपुर
वि०ख० पांवटा जि० सिरमौर (हि०प्र०)

परिशिष्ट - 4

स्टॉक प्राप्ति एवं निर्गमन बारे। परिशिष्ट

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	कार्य का नाम	वाउचर स. /दिनांक	बिल स./दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा (कि.ग्रा./ क्युबिक मी./स.)	दर (₹)	भुगतान राशि(₹)
1	2023-24	Own Sources	C/o Road, link road to Bhandari Basti Mugalanwala W.No.8	OWN/2023-24/P/84 Dt. 16-3-2024	4537/12-03-2024	HP State Civil Supplies Corporatioon Ltd.	Cement	65	406	26390
2	2023-24	Own Sources	C/o Road, Main Road to Panjla Basti Kartarpur W.No.9	OWN/2023-24/P/87 Dt. 16-3-2024	4538/12-03-2024	HP State Civil Supplies Corporatioon Ltd.	Cement	42	406	17052
3	2023-24	Own Sources	C/o Community yard Shed Rajban W.No.4	OWN/2023-24/P/89 Dt. 16-3-2024	4536/12-03-2024	HP State Civil Supplies Corporatioon Ltd.	Cement	60	406	24360
	कुल									**67802**

Section Officer
State Audit Department,
Shimla-9, H.P.

15

48

परिशिष्ट-5

फॉर्म एक्स /डब्लू प्रस्तुत करने बारे। परिशिष्ट

क्र. स.	वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	कार्य का नाम	वाउचर स. /दिनांक	बिल स./दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामाग्री	मात्रा (कि.ग्रा./ क्युबिक मी./स.)	दर (₹)	भुगतान राशि(₹)
1	2023-24	Own Sources	C/o Road, link road to Bhandari Basti Mugalanwala W.No.8	OWN/2023-24/P/85 Dt. 16-3-2024	203/11-03-2024	RK Associates	Sand	10	1300+GST 5%	13650
2	2023-24	Own Sources	C/o Road, link road to Bhandari Basti Mugalanwala W.No.8	OWN/2023-24/P/85 Dt. 16-3-2024	203/11-03-2024	RK Associates	Aggregate	11	1200+GST 5%	13860
3	2023-24	Own Sources	C/o Road, link road to Bhandari Basti Mugalanwala W.No.8	OWN/2023-24/P/85 Dt. 16-3-2024	203/11-03-2024	RK Associates	Bolder	10	1100+GST 5%	11550
4	2023-24	Own Sources	C/o Road, link road to Bhandari Basti Mugalanwala W.No.8	OWN/2023-24/P/86 Dt. 16-3-2024	205/11-03-2024	RK Associates	Sand	9.09	1300+GST 5%	
5	2023-24	Own Sources	C/o Road, link road to Bhandari Basti Mugalanwala W.No.8	OWN/2023-24/P/86 Dt. 16-3-2024	205/11-03-2024	RK Associates	Aggregate	11.61	1200+GST 5%	
6	2023-24	Own Sources	C/o Road, link road to Bhandari Basti Mugalanwala W.No.8	OWN/2023-24/P/86 Dt. 16-3-2024	205/11-03-2024	RK Associates	Bolder	11.42	1100+GST 5%	40227
7	2023-24	Own Sources	C/o Road, Main Road to Panjla Basti Kartarpur W.No.9	OWN/2023-24/P/88 Dt. 16-3-2024	201/10-03-2024	RK Associates	Sand	11.38	1300+GST 5%	
8	2023-24	Own Sources	C/o Road, Main Road to Panjla Basti Kartarpur W.No.9	OWN/2023-24/P/88 Dt. 16-3-2024	201/10-03-2024	RK Associates	Aggregate	10.36	1200+GST 5%	
9	2023-24	Own Sources	C/o Road, Main Road to Panjla Basti Kartarpur W.No.9	OWN/2023-24/P/88 Dt. 16-3-2024	201/10-03-2024	RK Associates	Bolder	15	1100+GST 5%	45912
10	2023-24	Own Sources	C/o Community yard Shed Rajban W.No.4	OWN/2023-24/P/90 Dt. 16-3-2024	202/10-03-2024	RK Associates	Sand	4.66	1300+GST 5%	
11	2023-24	Own Sources	C/o Community yard Shed Rajban W.No.4	OWN/2023-24/P/90 Dt. 16-3-2024	202/10-03-2024	RK Associates	Aggregate	9.32	1200+GST 5%	
12	2023-24	Own Sources	C/o Community yard Shed Rajban W.No.4	OWN/2023-24/P/90 Dt. 16-3-2024	202/10-03-2024	RK Associates	Bolder	24.82	1100+GST 5%	46771
13	2023-24	Own Sources	C/o Road, Main Road to Panjla Basti Kartarpur W.No.9	OWN/2023-24/P/99 Dt. 31-3-2024	211/17-03-2024	RK Associates	Aggregate	5	1200+GST 5%	
15	2023-24	Own Sources	C/o Road, Main Road to Panjla Basti Kartarpur W.No.9	OWN/2023-24/P/99 Dt. 31-3-2024	211/17-03-2024	RK Associates	Bolder	13	1100+GST 5%	21315

-17-

16	2023-24	15th Finance	C/o Drinking water Tank near the house of Ramdhan W.No.7	XVFC/2023-24/P/106 Dt. 20/03/2024	206/12-03-2024	RK Associates	Stone	5	1100+GST 5%	5775
18	2023-24	15th Finance	C/o Drinking water Tank near the house of Ramdhan W.No.7	XVFC/2023-24/P/106 Dt. 20/03/2024	206/12-03-2024	RK Associates	Sand	4	1300+GST 5%	5460
19	2023-24	15th Finance	C/o Drinking water Tank near the house of Ramdhan W.No.7	XVFC/2023-24/P/106 Dt. 20/03/2024	206/12-03-2024	RK Associates	Aggregate	2	1200+GST 5%	2520
21	2023-24	15th Finance	C/o Drinking water Tank near the house of Balwant Singh W.No.4	XVFC/2023-24/P/110 Dt. 20/03/2024	209/13-03-2024	RK Associates	Sand	6.5	1300+GST 5%	
22	2023-24	15th Finance	C/o Drinking water Tank near the house of Balwant Singh W.No.4	XVFC/2023-24/P/110 Dt. 20/03/2024	209/13-03-2024	RK Associates	Aggregate	3.5	1200+GST 5%	
24	2023-24	15th Finance	C/o Drinking water Tank near the house of Balwant Singh W.No.4	XVFC/2023-24/P/110 Dt. 20/03/2024	209/13-03-2024	RK Associates	Stone	11.62	1100+GST 5%	26704
	कुल									233744

Section Officer
State Audit Department,
Shimla-9, H.P.

17

18 परिशिष्ट-6

GRAM PANCHAYAT MUGALWALA KARTARPUR ,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT			
Scheme: MNREGA			
Fin. Year/	**2023-24**		
Month	**Labour (₹)**	**Material (₹)**	**Total (₹)**
April	0.00	0.00	**0**
May	0.00	208000.00	**208000**
June	0.00	0.00	**0**
July	65000.00	0.00	**65000**
August	10000.00	0.00	**10000**
September	47000.00	0.00	**47000**
October	86000.00	0.00	**86000**
November	81000.00	0.00	**81000**
December	198000.00	0.00	**198000**
January	3000.00	0.00	**3000**
February	0.00	0.00	**0**
March	0.00	0.00	**0**
Total	**490000**	**208000**	**698000**

G.R.S.
G.P.-Munglawala Kartarpur

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मुगलवाला करतारपुर
वि०ख० पांवटा जि० सिरमौर (हि०प्र०)